कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-288/2023 दिनांक-09.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना गंभीरपुर

नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 01.06.2023 को वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि दिनांक 30.05.23 को मेरी लड़की अपने घर ग्राम उतरगांवा से गम्भीरपुर बाजार में सिलाई सीखने गयी थी। जिसे मोनू चौहान S/O पवन कुमार चैहान निवासी ग्राम पाल्हा मऊ थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर ने शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 170/2023 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना के दौरान 376(झ) भादवि एवं 5(ठ)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है। विवेचना उ.नि. अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी गम्भीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 09.09.2023 उ.नि. अजय कुमार सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि मोनू चौहान जौनपुर मुख्य सडक मार्ग पर चिऊटही मोड़ के पास खडा है जो किसी जगह जाने के लिए साधन का इन्तेजार कर रहा है यदि जल्दी करेंगे तो पकड़ा जा सकता है सूचना पर उपनिरीक्षक मय हमराह के तत्काल चिऊटही मोड़ से अभियुक्त मोनू चौहान पुत्र पवन कुमार चौहान ग्राम पाल्हा मऊ थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र लगभग 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोनू चौहान पुत्र पवन कुमार चौहान ग्राम पाल्हा मऊ थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स. 170/23 धारा 363,366, 376(झ) भादवि एवं 5(ठ)/6 पोक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ.नि. अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ

का0 का. गंगासागर कुशवाहा चौकी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना अतरौलिया

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 09.09.23 को व0उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक मय हमराह द्वारा चेकिंग में छितौनी प्रा0 विद्यालय के पास सड़क के किनारे अकेले खड़े व्यक्ति पर संदेह होने पर पूछताछ हेतु बुलाने पर व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाते हुये भागने का प्रयास किया तो पुलिस वालों ने घेरकर मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में अपना नाम आशीष सिंह उर्फ दुर्गा सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी भवानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बताया और जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक तमंचा देशी व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 284/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

आशीष सिंह उर्फ दुर्गा सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी भवानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

01. व0उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक
02. का0 बबलू अली
03. का0 सर्वेश यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 448 वाहनों का चालान।

दिनांक- 09.09.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 89 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1664 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 448 वाहनों का चालान किया गया।